

दिनांक 2015-16

प्रारण

कक्षा	कुल छात्र संख्या		सामान्य			अज			अन्य			कुल			
	छात्र	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल	छात्र	छात्रा	कुल				
बी.ए. प्रथम	35	45	0	0	0	3	9	12	21	23	44	14	13	24	0
बी.ए. द्वितीय	31	29	0	0	0	6	4	10	16	13	29	9	12	21	0
बी.ए. तृतीय	22	20	0	0	0	5	3	8	9	10	19	8	7	15	0
बी.एस-सी. प्रथम	24	45	0	1	1	8	7	15	8	2	21	8	14	22	0
बी.एस-सी. द्वितीय	7	14	0	1	1	0	2	2	5	5	10	2	6	8	0
बी.एस-सी. तृतीय	3	9	0	0	0	0	3	3	2	4	6	1	2	3	0
बी.कांम प्रथम	24	22	0	2	2	4	4	8	10	7	17	10	9	19	0
बी.कांम द्वितीय	13	15	1	4	5	2	2	4	3	2	5	7	6	13	1
बी.कांम तृतीय	9	1	0	0	0	1	0	1	4	0	4	4	1	5	0
योग	168	200	1	8	9	29	34	63	78	87	165	60	70	130	1

*[Handwritten Signature]*

**PRINCIPAL**

Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)



बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001  
फोन:07752-214204,फैक्स-07752-260294

क्रमांक 2043/अका./पात्रता/2015-16

बिलासपुर, दिनांक 20/5/2016

प्रति,

- 1, समस्त विभागाध्यक्ष,  
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग  
बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर(छ.ग.)
- 2, प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर(छ.ग.)

पंजीकृत  
REGISTERED

आवश्यक  
URGENT

विषय:-विभिन्न स्नातक /स्नातकोत्तर /उपाधि /पत्रोपाधि (डिप्लोमा) कक्षाओं में सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश के संबंध में ।

संदर्भ:-वि.वि. का पत्र क्र.-379,380/अका./पात्रता/2014 दिनांक 13.6.2013,पत्र क्र .620.621/ अक/.पात्रता.  
दिनांक-03.06.2014

महोदय,

विषयांतर्गत कृपया अवगत हो कि छ.ग. स्थित विश्वविद्यालयों/छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर से मान्य बोर्ड एवं छ.ग.स्थित सी.बी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को छोड़कर छ ग. स्थित विश्वविद्यालय से स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अनुत्तीर्ण एवं छ.ग. से बाहर अन्य विश्वविद्यालयों/मण्डलों से अंतिम परीक्षाएं उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र/छात्राओं को बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अस्थाई/स्थाई प्रवेश देने के पूर्व एवं स्वध्यायी छात्र/छात्रों को भी परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

प्रायः यह पाया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के विपरीत कतिपय प्रकरणों में विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा बिना पात्रता प्रमाण पत्र के ही अन्य राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों/मण्डलों से विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण कर आने वाले छात्र/छात्राओं को संस्थागत एवं असंस्थागत प्रवेश दे दिया जाता है। यहा तक की उनके परीक्षा आवेदन पत्र भी बिना पात्रता प्रमाण पत्र के अग्रेषित कर दिए जाते हैं। जिससे विश्वविद्यालय परीक्षाओं के समय कठिन वैधानिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

यह भी स्पष्ट करना है कि महाविद्यालयों के माध्यम से पात्रता आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। छात्र/छात्राओं को स्वयं विश्वविद्यालय बिलासपुर में उपस्थित होकर पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी पात्र छात्र/छात्राओं को भी बिना पात्रता प्रमाण पत्र के प्रवेश देने पर विश्वविद्यालय आदेश/निर्देशों की अवहेलना मानी जावेगी तथा इस हेतु प्रति छात्र रुपये पांच सौ मात्र (500/रु.) महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कोष में जमा करने के पश्चात् सम्बंधित छात्र/छात्रा को पात्रता हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

सत्र 16  
प्रवेश प्रकाश




PRINCIPAL  
Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)

क्र.म.श.-2...

इसी प्रकार छ.ग. राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अगली परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश न दिया जाए। ऐसे छात्र/छात्राओं को निर्देश दे कि वे अपने अधूरे स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अपनी पूर्व अध्ययनरत् संस्था से ही पूर्ण करे

अतः जहां नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है वहां बिना पात्रता प्रमाण पत्र के छात्र/छात्राओं को स्थाई अथवा अस्थायी प्रवेश न दिया जाए यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त निर्देशों के विपरीत छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिए जाने के उपरान्त कोई न्यायालयीन प्रकरण बनता है तो इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य/विभागाध्यक्ष ही पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

आदेशानुसार,


  
कुलसचिव


पृष्ठ. क्रमांक 2044 / अका. / पात्रता / 2015-16

बिलासपुर, दिनांक 29/5/2015

प्रतिलिपि:-

- 1- कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा) वित्त, प्रशासन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
**PRINCIPAL**  
Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)

  
परीक्षा नियंत्रक



# बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-212313, 214204 फैक्स 07752-260294 ई-मेल : [bilaspur.university2012@gmail.com](mailto:bilaspur.university2012@gmail.com)

Website : [www.bilaspuruniversity.ac.in](http://www.bilaspuruniversity.ac.in)

क्रमांक 1110/2015

बिलासपुर, दिनांक 09.6.15

परीक्षा विभाग

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,  
बिलासपुर विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- बी.ए. पाठ्यक्रम में निर्धारित ग्रुप के अनुसार प्रवेश के संबंध में।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 1413/परीक्षा, दिनांक 22/1/2015 के संबंध में।

—00—

विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 1413/परीक्षा, दिनांक 22/1/2015 द्वारा महाविद्यालयों को बी.ए. कक्षा में प्रवेश के संबंध में अध्यादेश में निर्धारित ग्रुप के अनुसार ही प्रवेश के लिए निर्देशित किया गया था। सूचनार्थ संदर्भ के लिए पत्र की छाया प्रति एवं अध्यादेश की छाया प्रति संलग्न है।

अतः इस संबंध में पुनः निवेदन है कि इस वर्ष प्रवेश में अध्यादेश के अनुसार निर्धारित ग्रुप के अनुसार ही छात्रों को प्रवेश दें तथा बी.ए. प्रथम स्वाध्यायी छात्रों के परीक्षा आवेदन भी ग्रुप के अनुसार ही अग्रेषित किये जावें।



आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्र. 1111/परीक्षा/2015

बिलासपुर दिनांक 09.6.15

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के निज सहायक, को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय/भंडार को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति, परीक्षा विभाग, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

**PRINCIPAL**  
Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)

उप-कुलसचिव



# बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) 495001

फोन : 07752-212313, 214204 फैक्स 07752-260294 ई-मेल : [bilaspur.university2012@gmail.com](mailto:bilaspur.university2012@gmail.com)

Website: [www.bilaspuruniversity.ac.in](http://www.bilaspuruniversity.ac.in)

क्रमांक 1413 / परीक्षा / 2015

बिलासपुर, दिनांक 22/01/2015

प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- बी.ए. पाठ्यक्रम में निर्धारित ग्रुप के अनुसार प्रवेश के संबंध में।

—0—

विषयान्तर्गत सूचित करना है, कि स्नातक स्तर पर प्रदेश में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू है कला स्नातक/बी.ए. अध्यादेश में कुल 7 ग्रुप बनाये गये हैं, तथा छात्र तीन ग्रुप से एक-एक विषय चयन कर सकता है। किन्तु यह देखा गया है कि महाविद्यालयों द्वारा इसके विरुद्ध एक ही ग्रुप से दो विषय चयन करने पर भी छात्र को प्रवेश दिया गया है, तथा परीक्षा आवेदन विश्वविद्यालय अग्रेषित किया गया है जो नियमानुसार नहीं है।

अतः इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि सत्र 2015-16 से अध्यादेश/पाठ्यक्रम में निर्देशित ग्रुप व्यवस्था के अनुसार प्रवेश दिया जावे तथा प्राईवेट छात्रों के परीक्षा आवेदन भी उपरोक्तानुसार स्वीकार कर विश्वविद्यालय अग्रेषित किया जावे अन्यथा की स्थिति में परीक्षा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

संलग्न :- अध्यादेश क्र.-11 की छाया प्रति।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ क्रमांक 1414 / परीक्षा / 2015

बिलासपुर, दिनांक 22/01/2015

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के निज सहायक को, माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ/सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर के सूचनार्थ कृपया महाविद्यालय सूचना पटल पर भी छात्रों के सूचनार्थ चस्पा करे।
3. सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय को सूचनार्थ।

  
**PRINCIPAL**  
Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)

  
उप-कुलसचिव (परीक्षा)

REVISED ORDINANCE NO.11


(As per State U.G.C. Scheme)

BACHELOR OF ARTS

1. The three year course have been broken up in to three Parts  
Part-I Examination at the end of the first year  
Part-II Examination at the end of the second year and  
Part-III Examination at the end of the third year
2. A candidate who after passing (10+2) or intermediate exami-nation of C.G. Board of Secondary Education, C.G. or any other examination recognised by the University of C.G. Board of Secondary Education as equivalent thereto, has attended a regular course of study in an affiliated college or in the Teaching Department of the University for one academic year shall be eligible for appearing at the B.A. Part-I examination.
3. A candidate who after passing B.A. Part-I examination of the University or any other examination recognised by the University as equivalent thereto has attended a regular course of study for one academic year in an affiliated college or in the Teaching Department of the University shall be eligible for appearing at the B.A. Part II Examination.
4. A candidate who after passing B.A. Part II examination of the University has completed a regular course of study for one academic year in an affiliated college or in the Teaching Department of the University shall be eligible for appearing at the B.A. Part-III examination.
5. Besides regular students, subject to their compliance with this ordinance, ex-students and non-collegiate candidates shall be eligible for admission to the examination as per provisions of Ordinance N. 6 relating to Examinations (General). Provided that non-collegiate candidates shall be permitted to offer only such subjects/papers as are taught to the regular students at any of the University Teaching Department or College.
6. Every candidate for the Bachelor of arts examination shall be examined in
  - A. Foundation Course
    - i) Group A - Hindi Language
    - ii) Group B - English Language
  - B. Three course subjects : One subject from any three group out of the followings six groups
    1. Sociology / Ancient Indian Histroy / Anthropology
    2. Political Science/Home Science / Drawing & Painting / Vocational Course.
    3. Hindi Literature/ Sanskrit Literature/Urdu Literature/ Mathematics
    4. Economics/Music/ Defence Studies/ Linguistics / नृत्य.

B.A.-Part-I

(3)

  
**PRINCIPAL**  
Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)

5. Philosophy/Psychology/ Geography/ Education/ Management.
6. History/English Literature/ Statistics.
7. Practicals (If Necessary) for each core subject.
7. Any candidate who has passed the B.A. examination of the University shall be allowed to present himself for examination in any of additional subjects prescribed for the B.A. examination and not taken by him at the degree examination. Such candidate will have to first appear and pass the B.A. Part I examination in the subject which he proposes to offer and then the B.A. Part II and Part III examination in the same subject. Successful candidate will be given a certificate to that effect.
8. In order to pass at any part of the three year degree course examination, an examinee must obtain not less than 33% of the total marks in each subject/group of subjects. In subject/group of subjects, where both theory and practical examination are provided, an examinee must pass in both theory and practical parts of the examination separately.
9. Candidate will have to pass separately at the Part-I, Part II and part-III examination. No division shall be assigned on the result of the Part-I and Part-II examination. In determining the division of the Final examination, total marks obtained by the examinees, in their Part-I, Part-II and Part-III examination in the aggregate shall be taken into account. Candidate will not be allowed to change subjects after passing Part I Examination. Provided in case of candidate who has passed the examination through the supplementary examination having failed in one subject only the total aggregate marks being carried over for determining the division shall include the actual marks obtained in the subject in which he appeared at the supplementary examination.
10. Successful examinees at the Part-III examination obtaining 60% or more marks shall be placed in the First division, those obtaining less than 60% but not less than 45% marks in the Second division and other successful examinees in the third division.

*[Signature]*  
**PRINCIPAL**  
Govt. College, Barpali  
Distt. - KORBA (C. G.)

B.A.-Part-I

B.A.-Part-I

(4)

(2)